न्यायालय जिला कलक्टर अलवर राजस्थान

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/50/2024	2024/83	19.03.2024	29.07.2024

1. हुकम सिंह पुत्र श्री रिछपाल सिंह, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुरछोटा, उचित मूल्य दुकान 1/2 भाग ग्राम पंचायत राजपुरछोट, तहसील रैणी, जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर राज0।

—रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व प्रकरण संख्या 18/2023 निर्णय दिनांक 03.01.2024 जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0 530/91 पोस कोड सं0 17328 विधि विरूद्व तरीके से निरस्त किया।

उपस्थितः—
01—श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलांट
02—विभागीय पैरोकार —रैस्पोडेंट

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—:निर्णयः—

जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 03.01.2024 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी श्री हुकम सिंह उचित मूल्य दुकानदार छोटा राजपुर तह0 रैणी पॉश कोड संख्या 17328 का प्राधिकार पत्र संख्या 530/91 समस्त देनदारियां लंबित रखते हुए तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है, से व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांटान द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर ने दिनांक 03.01.2024 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी श्री हुकम सिंह उचित मूल्य दुकानदार छोटा राजपुर तह0 रैणी पॉश कोड संख्या 17328 का प्राधिकार पत्र संख्या 530/91 समस्त देनदारियां लंबित रखते हुए तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। अप्रार्थी की जमा समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार की जाती है। जांच रिपोर्ट दिनांक 01.09.2023 में प्रवर्तन निरीक्षक रैणी द्वारा मनमाने तथ्य दर्ज करते हुए तैयार की गई। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने दिनांक 01.09.2023 को निलम्बित किये जाने के उपरान्त 90 दिवस की अवधि में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करना चाहिए था। 90 दिवस पश्चात प्राधिकार पत्र स्वतः ही बहाल हो जाता है। मातहत कार्यालय से दिनांक 31.10.2023 को अपीलान्ट के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका विस्तृत जवाब दिनांक 24.11.2023 को दिये जाने के बावजूद दिनांक 03.01.2024 को मातहत माननीय जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त फरमाया गया है। जिला रसद अधिकारी अलवर के एकपक्षीय निर्णय दिनांक 03.01.2024 के विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही हैए जिस निर्णय की मिन अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.02.2024 को उस समय हुई जब अपीलान्ट मातहत जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में गयाए जिस पर वहाँ मौजूद अधिकारियों ने जाहिर किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

पत्र दिनांक 03.01.2024 को ही निर्णय पारित कर निरस्त किया जा चुका है, जिस पर अपीलान्ट ने तुरन्त आलोच्य निर्णय की नकल वास्ते आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23.2.2024 को नकल बनकर प्राप्त हुई है, जिसके उपरान्त अपीलान्ट ने अधिवक्ता से सलाह मशिवरा कर उनको विधिक सलाह के अनुसार हस्तगत अपील हाजा न्यायालय श्रीमान में अपील खर्चा की व्यवस्था करने के उपरान्त पेश की जा रही है। दिनांक 03.01.2024 से दिनांक 23.02.2024 तक का समय लाईल्मी होने के कारण कण्डोन फरमाए जाने योग्य है। रफाये हुज्जत पृथक से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न किया जा रहा है। अपीलान्ट द्वारा 1/2 भाग ग्राम पंचायत राजपुरछोटा में उचित मूल्य की दुकान को संचालित किया जाता हैए जिसका प्राधिकार पत्र सं0 530/91 है। अपीलान्ट द्वारा वर्ष 1991 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। मौके पर प्रवर्तन निरीक्षक, रैणी द्वारा जब दिनांक 01.09.2023 को मौके पर जांच की गई उस समय उचित मूल्य सामग्री यथा गेंहूए कैरोसीन का स्टॉक पूरा था। उचित मूल्य दुकान पर सूचना पट्ट का प्रदर्शन हो रहा था, सूचना पट्ट पर उचित मूल्य सामग्री के स्टॉक का अंकन, रेट का अंकन था। परन्तु बेजा रूप से प्रकरण बनाने की नियत से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गलत जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला रसद अधिकारी, अलवर के यहाँ पेश की गई है। अपीलान्ट दिनांक 01.09.2023 को अपनी उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित था तथा दुकान का प्राधिकार पत्र, नक्शा मांगने पर प्रवर्तन निरीक्षक को वक्त जांच पेश किया था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर दिनांक 01.09.2023 को ही फर्द मौका तैयार किया गया था। वक्त जांच मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं एवं ग्रामीणों द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को जाहिर किया गया था कि उन्हें उचित मूल्य दुकान 1/2 भाग ग्राम पंचायत राजपुरछोटा अर्थात अपीलान्ट से कोई शिकायत नहीं है। उचित मूल्य दुकानदार समय पर एवं उचित मात्रा में एवं उचित मूल्य परए उचित मूल्य सामग्री समय समय पर प्रदान करता है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा वक्त जांच मौके पर उपस्थित लोगों के फर्द मौका पर हस्ताक्षर कराये गये थे और कुछ उपभोक्ताओं के खाली कागजों पर अंगूठ/हस्ताक्षर करवाये गये थेए जिन पर बाद में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मनमाने रूप में तथ्य दर्ज करते हुए उनके आधार पर जांच रिपोर्ट दिनांक 01.09.2023 तैयार की गई है, जिसके आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र आलोच्य निर्णय दिनांक 03.01.2024 पारित कर निरस्त किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध जांच रिपोर्ट दिनांक 01.09.2023 के आधार पर दिनांक 31.10.2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गयाए जिसका विस्तृत जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.11.2023 को मातहत श्रीमान जिला रसद अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलान्ट पर कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.10.2023 में निम्न आरोप विरचित किये गये थे व उनके निम्न जवाब दिये गये थे। मौके पर नक्शा अनुसार दुकान संचालित नहीं मिली। जवाब उक्त आरोप गलत है। अटैचमेन्ट (30753) सहित मेरे पास दो दुकान संचालित होने के कारण माल की मात्रा की अधिकता को देखते हुए ग्रामवासियों व संरपच की अनुमति से सरकारी भवनए राजपुरछोटा में वितरण का कार्य किया जा रहा था। मौके पर स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं पाया गया। जवाब उक्त आरोप गलत है। मौके पर स्टॉक रजिस्टर संधारित था। रजिस्टर पर स्वयं प्रवर्तक ;निरीक्षण अधिकारीद्ध अधिकारी के दिनांक 21.07.2023 के हस्ताक्षर किए हुए हैं। मौके पर नोटिस बोर्ड पर आवश्यक सूचना का अंकन नहीं पाया गया। जवाब उक्त आरोप गलत है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के कारण दुकान का एवं बोर्ड का रंग पेन्ट का कार्य चल रहा था इसलिए नोटिस बोर्ड पर सूचनाओं का अंकन नहीं किया गया। उचित मूल्य दुकानदार हुकम सिंह पोस कोड 17328 एवं अटेच दुकान खेमराम मीणा पोस कोड 30753 का संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पर दोनों दुकानों में कुल 34589.16 किलोग्राम गेहूं कम पाया गया। जवाब उक्त आरोप गलत है। अगस्त 2017 में 21424 किग्रा (214.24 क्वि0) गेहूं प्राप्त नहीं हुआ। अगस्त 2018 में 12000 किग्रा (120 क्वि) ऑनलाईन जो प्राप्ति गलत दर्शाया गई है जबकि वास्तविक प्राप्ति 2223 किग्रा (22.23 क्वि0) प्राप्त हुआ था। दिनांक 08.10.2021 को अन्नपूर्णा सहकारी समिति गढ़ से पोश मशीन में दर्ज 1706 किग्रा (17.6 क्वि) गेहूं प्राप्त नहीं हुआ। उक्त प्रकार से 32907

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

किग्रा (329.07 क्वि) गेहू प्राप्त नहीं हुआ है। स्टॉक में 1673.16 किग्रा (16.73 क्वि0) गेहूं सही रूप में मौजूद था। अपीलान्ट पर 34580.16 किग्रा (345.80 क्वि) का आरोप गलत लगाया गया है। 345.80 क्वि0 में से 329.07 क्वि0 जो गेहूं प्राप्त नहीं हुआ है, को घटाने पर शेष गेंहू 1673 किग्रा (16.73 क्वि0) बचता है, जो अपीलान्ट के स्टॉक में मौजूद है। अतः अपीलान्ट का स्टॉक पूरा है जिसमे कोई गबन प्रमाणित नहीं है। अपीलान्ट पर गलत जांच रिपोर्ट दिनांक 01.09.2023 के आधार पर जो आरोप विरचित किये गये थेए वो गंभीर प्रकृति के नहीं थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए व अपीलान्ट का लाईसेंस निरस्त करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं था। दिनांक 21.07.2023 को प्रवर्तन अधिकारी रेणी श्री दिनेश चौबे के द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया जाकर स्टॉक पूर्ण पाए जाने, किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाए जाने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर किये थे। जब दिनांक 21.07.2023 को स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक पूरा था और मौके पर भी पूरा था, उसके उपरान्त दिनांक 01.09.2023 को भी स्टॉक पूरा था, किसी प्रकार का कोई गबन नहीं हुआ था, लेकिन जानबूझकर प्रकरण बनाने के लिए प्रवर्तन अधिकारी रैणी श्री दिनेश चौबे ने झूठी जांच रिपोर्ट मातहत अधिकारी के समक्ष पेश की गई। अपीलान्ट ने कोई उचित मूल्य सामग्री गेहूं का गबन नहीं किया गया है, ना ही किसी उपभोक्ता की अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध कोई शिकायत रही है। प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा अवैध वसूली का दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायत का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के विरूद्ध तैयार करके गलत जांच रिपोर्ट मातहत जिला रसीद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर समुचित जांच ना कर, अपीलान्ट के जवाब पर समुचित गौर ना कर मातहत अधिकारी ने बेजा रूप से आलोच्य निर्णय दिनांक 03.01.2024 पारित कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र खारिज फरमाया गया है। कानूनन 90 दिनों के पश्चात निरस्त लाईसेंस स्वतः ही बहाल हो जाना चाहिये था, केवल 90 दिन तक ही प्राधिकार पत्र को निरस्त रखा जा सकता है, 90 दिवस के अन्दर प्राधिकार पत्र की जांच का फैसला करना होता है, 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है। जैसा कि श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.09.2008 एवं 07.07.2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है। लेकिन उसके बावजूद जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मिन अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण पांच माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है जिस कारण से अपील पेश करना आवश्यक हुआ है।

"Raj Foodgrains & Other Ess. Art. (Regu. fo Distri.) Order 1976 के सैक्टर 8 के क्लॉज 2 के अनुसार "No order fo cancellation sall be made under this order unles the authorization holder has been given a resaonable opportunity fo stating his csae against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder fo stating his csae."

जिला रसद अधिकारी, अलवर के यहाँ मिन अपीलान्ट के विरूद्ध किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं रही है। प्रकरण बनाने की नियत से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मनमाने रूप में जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य निर्णय दिनांक 03.01.2024 पारित करते हुए अपीलान्ट का उचित मूल्य प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलान्ट वर्ष 2005 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 01.09.2023 अर्थात पिछले 06 माह से अधिक समय से निलंबित/निरस्त चल रहा है जिससे अपीलान्ट को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट अपने व अपने परिवार की गुजर बसर करता

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

है, जिस कारण से भी न्यायाहित में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागारिक आपूर्ति विभाग के संशोधित आदेश, क्रमांक एफ.13(49)खा.वि./आवंटन/2015–II जयपुर दिनांक 24.03.2017 में क्रम संख्या 1 पर दर्ज किया गया है कि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.08.2016 के बिन्दु संख्या 1 की प्रक्रिया सामान्य रूप से विलोपित कर, दिनांक 01.04.2017 के उपरान्त राशन सामग्री POS का उपयोग कर ही भामाशाह आधार के माध्यम से बायोमैट्रिक अथवा ओ.टी.पी. सत्यापन के उपरान्त वितरित की जा सकेगी। उक्त आदेश की पालना में जिला रसद अधिकारी, अलवर एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मीटिंग करके समस्त राशन डीलरों को यह निर्देश दिये थे कि राशन डीलरों को उपभोक्ताओं को पॉस मशीन से वितरण करना है, यह ऑनलाईन वितरण व्यवस्था है, जिसमें राशन कार्ड में इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं है। जब भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड के आधार पर उपभोक्ता को पॉस मशीन में फिंगर प्रिन्ट के जरिये उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया जाता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता के राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं हो पाता है, जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई दुर्भावना नहीं रही है। मिन अपीलान्ट के उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने वास्ते ग्राम पंचायत राजपुरछोटा के सरपंच द्वारा अनुशंषा की गई है। अधिकारी ने आलोच्य निर्णय में मिन अपीलान्ट द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब दिनांक 24.11.2023 का कोई विवेचन नही किया गया है, और ना ही आलोच्य निर्णय सादिर करने से पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान किया गया है। मिन अपीलान्ट जो कि विकलांग है और दीगर कार्य करने में असमर्थ है। अपीलान्ट के पिता रिछपाल सिंह जी वर्ष 1991 से उचित मूल्य दुकान का संचालन करते चले आ रहे थे जिनकी मृत्यु के उपरान्त मिन अपीलान्ट के द्वारा स्वयं के नाम से प्राधिकार पत्र संख्या 530/91 बनवाया जाकर वर्ष 2005 से उचित मूल्य दुकान का संचालन कर, उक्त कार्य से बनने वाली कमीशन राशि से अपना व अपने परिवार की गुजर बसर करता है इसके अलावा अन्य कोई आय का जरिया नहीं है। आलोच्य निर्णय में अपीलान्ट पर जो आरोप लगाये गये हैं, वो आरोप गंभीर प्रकृति के नही थे, ना ही अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का गबन किया गया है, ना ही अपीलान्ट द्वारा कोई अनियमितता की गई है, जिसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से अपनी हठधर्मिता से आलोच्य निर्णय पारित किया है जो अपास्त फरमाया जाने योग्य है। उक्त के अलावा अन्य तथ्य वक्त बहस श्रीमान के समक्ष और अर्ज कर दिये जावेंगे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर के एकपक्षीय आदेश दिनांक 01.09.2023 एवं एकपक्षीय निर्णय दिनांक 03.01.2024 जिला रसद अधिकारी, अलवर जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 530/91 पॉस कोड संख्या 17328 विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट को बिना सुने क्रमशः निलम्बित एवं उसके उपरान्त निरस्त कर दिया गया है, वो आदेश व निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 530/91 बहाल करते हुए उचित मूल्य सामग्री 1/2 भाग ग्राम पंचायत राजपुरछोटा का उठाव एवं वितरण करने के निर्णय प्रदान किये जाने की कृपा करें। विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में न्यायालय हाजा का निर्णय दि0 30.04.2024 उनवान भगवान सहाय शर्मा बनाम जिला रसद अधिकारी अलवर की प्रति नजिर स्वरूप पेश की है।

रेस्पोडेंट की ओर से प्रतिनिधि द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के भौतिक सत्यापन पर प्रवर्तन दल द्वारा जांच करने पर 3458.16 किग्रा गेहूं स्टॉक में कम पाया गया। उचित मूल्य दुकान के अनुसार 21424 किग्रा गेहूं केवीएसएस से प्राप्त नहीं हुआ। अगस्त 2018 में 12000 किग्रा का आमद ऑनलाईन प्राप्ति दर्शाई

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

गई है, जबकि 22.23 क्वि. प्राप्त हुआ है, गबन की श्रेणी में आता है, जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 तथा उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 1, 8, 11, 17 (सी) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलांट के प्राधिकार पत्र को दिनांक 01.09.2023 को निलम्बित किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2023 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। जिसका जवाब अपीलांट द्वारा दिनांक 24.11.2023 पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के भौतिक सत्यापन पर प्रवर्तन दल द्वारा जांच करने पर 3458.16 किग्रा गेहूं स्टॉक में कम पाया गया। उचित मूल्य दुकान के अनुसार 21424 किग्रा गेहूं केवीएसएस से प्राप्त नहीं हुआ। अगस्त 2018 में 12000 किग्रा गेहूं की आमद ऑनलाईन प्राप्ति दर्शायी गई है, जबकि 22.23 क्वि. गेहूं प्राप्त हुआ है, जो गबन की श्रेणी में आता है तथा यह राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 तथा उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 1, 8, 11, 17 (सी) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0 01.09.2023 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र विधिनुसार निरस्त किया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 03.01.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
(राज०)